

(73)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 7-74/2003/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक ६ / १० / 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाये जाने पर संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21 जुलाई, 2003.

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 01-08-1996 की कांडिका 22 (4) में छानबीन समिति द्वारा प्रमाण पत्र फर्जी एवं गलत पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुशासनात्मक एवं विभिन्न अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है। इस क्रम में इस विभागीय परिपत्र दिनांक 21-7-2003 द्वारा छानबीन समिति द्वारा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाती है, उन्हें सेवा से पृथक करने की प्रक्रिया दर्शायी गई है।

2/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जिन शासकीय सेवकों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाये जाने संबंधी निर्णय पारित किया जाता है, उनके विरुद्ध विभागीय परिपत्र दिनांक 21-7-2003 (प्रति संलग्न) में दी गई प्रक्रिया अनुसार तत्काल कार्यवाही की जाए।


(आर.के.गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

..2..

पृ० क्रमांक एफ ७-७४ / २००३ / आ.प्र. / एक, भोपाल, दिनांक ८ / १० / २०१०

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर.
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल.
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म०प्र० जबलपुर.
5. सचिव, लोकायुक्त, म०प्र० भोपाल.
6. सचिव, म०प्र० लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.
7. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन.
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म०प्र० भोपाल.
9. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल.
10. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनु. जनजाति आयोग, भोपाल.
11. महालेखाकार, म०प्र० ग्वालियर/भोपाल.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता म०प्र० जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
13. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल म०प्र० भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन वि.
15. आयुक्त, जनसम्पर्क म०प्र० भोपाल.
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय—भोपाल


(आ.र.के.गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग